राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954

ट (1954 का अधिनियम 28)

(श्रीमान् राजप्रमुख की अनुमति दिनांक दिसम्बर 17, 1954 को प्राप्त हुई।)

राजस्थान राज्य में कतिपय स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन स्थानीय निधियों की संपरीक्षा के लिये उपबंध करने और उसे विनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1.**संक्षिप्त नाम** :–इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 है।

2 **प्रसार :–** इस अधिनियम का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

3.**परिभाषाएं :–** इस अधिनियम में , जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो–

(क). ''संपरीक्षक'' से निदेशक* या कोई अन्य वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो;

** ''(ख) '' अध्यक्ष'' – से किसी नगरपालिक संस्था का सभापति या अध्यक्ष या महापौर, किसी पंचायतीराज संस्था का जिला प्रमुख, प्रधान या सरपंच या किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण का, उसका नाम चाहे जो भी हो, अध्यक्ष अभिप्रेत है, और विघटित या अतिष्ठित स्थानीय प्राधिकरण की दशा में इसमें वह व्यक्ति या वे व्यक्ति भी सम्मिलित है जो ऐसे स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहण करने के लिये विधिपूर्वक नियुक्त किये गये हों, ''

*** (ग). 'संपरीक्षा' के अन्तर्गत विशेष संपरीक्षा, पूर्व संपरीक्षा, संमवर्ती संपरीक्षा और पश्च संपरीक्षा हैं जिसमें विस्तृत संपरीक्षा और परीक्षण संपरीक्षा सम्मिलित हैं;

(I) ''विशेष संपरीक्षा'' से ऐसी किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों की आवली से संबंधित लेखों की संपरीक्षा अभिप्रेत है जिनकी कि समग्र परीक्षा अपेक्षित हैं;

(II) ''पूर्व संपरीक्षा'' से किसी स्थानीय निधी में से संदाय, प्रत्याहरण या समायोजन से पूर्व की जाने वाली संपरीक्षा अभिप्रेत हैं;

*राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

** राजस्थान राजपत्र, जुलाई 31, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित

*** राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

(**III**) ''संमवर्ती संपरीक्षा'' से, किसी स्थानीय निधी में से संदाय, प्रत्याहरण या समायोजन करने के या तो साथ ही साथ या उसके तुरन्त पश्चात मौके पर की जाने वाली संपरीक्षा अभिप्रेत हैं;

(**IV**) ''पश्च संपरीक्षा'' से, किसी स्थानीय निधी में से संदाय, प्रत्याहरण या समायोजन के पश्चात की जाने वाली संपरीक्षा अभिप्रेत है जो संमवर्ती संपरीक्षा न हो, किन्तु इसमें विस्तृत संपरीक्षा, जिसका अभिप्राय संपूर्ण वर्ष की लेखा संपरीक्षा से हैं, और परीक्षण संपरीक्षा, जिसका अभिप्राय निदेशक या उसके द्वारा सशक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा
यत्र–तत्र से चयनित किसी कालावधि का संपरीक्षा है; सम्मिलित है,

* (घ) ''निदेशक'' से, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग का निदेशक अभिप्रेत हैं और इसमें उक्त विभाग का वरिष्ठ उप निदेशक, उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक सम्मिलित हैं; और

** (घघ)'' स्थानीय प्राधिकरण '' से ऐसा कोई नगरपालिका बोर्ड, परिषद,निगम, कोई जिला परिषद, कोई पंचायत समिति, कोई पंचायत या अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन का विधिक रूप से हकदार हो या उससे न्यस्त किया गया हो और इसमें राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी, और किसी भी राजस्थान विधि के अधीन गठित ऐसी संस्थाएं, बोर्ड, अभिकरण या निकाय, साथ ही उनके समनुषंगी भी सम्मिलित होंगे जिन्हें सरकार से किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान, सहायिकी, निधियां या वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो '' ।

(ड.) ''स्थानीय निधि'' से वह निधि अभिप्रेत है जिसके नियंत्रण या प्रबन्ध के लिए कोई स्थानीय प्राधिकरण वैध रूप से हकदार है और इसमें किसी ऐसे उपकर, रेट, शुल्क, फीस या कर के, जिसे अधिरोपित करने के लिए उक्त प्राधिकरण वैध रूप से हकदार है, आगम और ऐसे प्राधिकरण में निहित कोई सम्पत्ति शामिल है ;

*** (च) विलोपित

(छ.) ''नियंत्रक प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किया गया हो।

*****राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

******राजस्थान राजपत्र जुलाई 31, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित

*******राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा विलोपित

4.स्थानीय प्राधिकरणों का संपरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत करने का दायित्व :– राज्य सरकार जिस स्थानीय प्राधिकरण के लेखों को राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा का विषय घोषित कर दें, उसके लेखे ऐसी किसी भी अधिनियमिति में , जिसके द्वारा उक्त स्थानीय प्राधिकरण का गठन किया गया है , या उसके अधीन बनाये किन्हीं नियमों में किसी बात के होते हुए भी सभी भांति , इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित रीति से , संपरीक्षा के अध्यधीन होगें।

5. ऐसी अवधि या अवधियों में , जो अपेक्षित की जाये , संपरीक्षा हेतु लेखों का प्रस्तुत किया जाना :– ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष , जिसके लेखे धारा 4 के अधीन , इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन घोषित किये जाये ,अपनी स्थानीय निधि के समस्त लेखों को संपरीक्षा हेतु , ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में जो धारा 16 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहीत किया जाये , प्रतिवर्ष या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि या अवधियों में संपरीक्षक को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करायेगा;

*''परन्तु ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष तुरन्त ही समवर्ती संपरीक्षा की दशा में और परीक्षण संपरीक्षा की दशा में निदेशक द्वारा वांछित कालावधि के अपने स्थानीय निधि के समस्त लेखों नियमों द्वारा विहित रीति से और प्ररूप में संपरीक्षा के लिये पेश करेगा या करायेगा''।

6. दस्तावेज पेश करने और संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति आदि की अपेक्षा करने की संपरीक्षक की शक्ति :–

(1.) इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए संपरीक्षक –

(क.) ऐसे वाउचर , विवरणियां , पत्र–व्यवहार , टिप्पणियां या लेखों से संबंधित अन्य दस्तावेज , जिन्हें वह उचित समझे , स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में प्रस्तुत करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख). स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे किसी वैतनिक सेवक से , जो ऐसे वाउचरों , विवरणियों , पत्र–व्यवहार, टिप्पणियों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखता हो या उनके लिए जवाबदेह हो या ऐसे किसी व्यक्ति से , जो प्रत्यक्षतः ; परोक्षतः, स्वयं या अपने भागीदार की मार्फत स्थानीय प्राधिकरण के साथ या उसके अधीन किसी संविदा में कोई हिस्सा या हित रखता हो , व्यक्तिशः या प्राधिकृत एजेण्ट की मार्फत स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय पर अपने समक्ष उपस्थित होने और उसके संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या तत्संबंधी किसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य अवैतनिक अधिकारी या सदस्य से कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होने की दशा में , ऐसे व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय पर अपने से मिलने के लिए लिखित में निमंत्रित कर सकेगा और लिखित में ऐसे मुद्दे को विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

(2) संपरीक्षक उप–धारा (1) के अधीन की गई किसी भी अध्यपेक्षा या नियंत्रण में ऐसी समुचित अवधि नियत करेगा , जो तीन दिन से कम नही होगी , जिसमें उक्त अध्यपेक्षा या नियंत्रण का अनुपालन किया जायेगा।

———————————————————

*राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

(3).संपरीक्षक प्राधिकरण को उस तारीख का जिसको कि वह संपरीक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता है कम से कम दो सप्ताह का लिखित नोटिस देगा :परन्तु इस उप–धारा में किसी बात के होते हुए भी संपरीक्षक विशेष कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किये जायेगे , दो सप्ताह से कम का नोटिस दे सकेगा या बिना नोटिस दिये राज्य सरकार अथवा नियंत्रक प्राधिकारी या निदेशक के प्राधिकार से , *समवर्ती या परीक्षण संपरीक्षा, विशेष या विस्तृत संपरीक्षा प्रारम्भ कर सकेगा।

7. धारा 6 के अधीन अध्यपेक्षा की अवज्ञा के लिए शस्ति :–

(1.) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर धारा 6 की उप–धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उस पर विधि पूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा की उपेक्षा करता है या उसका अनुपालन करने से इन्कार करता है , मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर एक सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा : परन्तु इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही राज्य सरकार की या नियंत्रक प्राधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना संस्थित नही की जायेगी :परन्तु यह और किसी ऐसी मंजूरी देने से पूर्व राज्य सरकार या नियंत्रक प्राधिकारी उस व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध कार्यवाही संस्थित की जानी है ,यह कारण बतलाने की अपेक्षा करेगा कि मंजूरी क्यों न दे दी जाये।

(2).इस अधिनियम के विरूद्ध किसी अपराध पर प्रथम वर्ग–मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय विचारण नही करेगा।

8.कतिपय अधिकारियों और निकायो को , जैसा राज्य सरकार निदेशित करे संपरीक्षा प्रतिवेदन का भेजा जाना :– संपरीक्षा की समाप्ति के पश्चात् , यथासाध्य शीध्रता से किन्तु उसके पश्चात् तीन मास की समाप्ति के पूर्व , निदेशक संपरीक्षा किये हुए और परीक्षित लेखाओं पर प्रतिवेदन तैयार करेगा और ऐसे प्रतिवेदन को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को भेजेगा और उसकी प्रति ऐसे अधिकारियों और निकायों को भेजेगा जिनके लिए राज्य सरकार निर्देश दे।

9. निदेशक के प्रतिवेदन में क्या होगा : निदेशक अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित करेगा :–

(क.) उस प्रत्येक भुगतान का , जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो ;

(ख.) किसी प्रकार की ऐसी कमी , दुर्व्यय या हानि की मात्रा का , जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई घोर उपेक्षा या अवचार के कारण हुई प्रतीत हो ;

(ग.) ऐसी किसी भी प्राप्त राशि का जो किसी व्यक्ति द्वारा हिसाब में ली जानी चाहिये थी किन्तु ली नही गई हो ; और

(घ.) ऐसी तात्विक अनौचित्य या अनियमितता का जो उसे स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं में या उसे देय धन की वसूली में दिखे , जो खंड (क), (ख) और (ग) के ऊपर वर्णित अनौचित्य या अनियमितता से भिन्न हो।

---

*राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित

10.स्थानीय प्राधिकरण द्वारा त्रुटियों को सुधारा जाना:– धारा 8 के अधीन निदेशक के प्रतिवेदन के पश्चात् अनुसरणीय प्रक्रिया :–

(1.) धारा 8 के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष उन किन्हीं भी त्रुटियों या अनियमितताओं को जो प्रतिवेदन में बताई गई हों, सुधारेगा , और प्रतिवेदन पर जो कार्यवाही उसने की है या जो कार्यवाही करने का वह प्रस्ताव करता है उसके विवरण के साथ प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकरण की बैठक में पेश करेगा और साथ ही उस प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने से तीन मास के भीतर निदेशक को वह यह सूचना भी भेजेगा कि उसने प्रतिवेदन में बताई गई त्रुटियों या अनियमितताओं को, यदि कोई हो , सुधार दिया है अथवा उक्त अवधि में निदेशक को ऐसा ओर स्पष्टीकरण देगा जैसा स्थानीय प्राधिकरण देना चाहे।

(2.) उक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर निदेशक अपने प्रतिवेदन में
विचार–विमर्शतः समस्त या किन्ही मामलों के संबंध में ,–

(क.) अध्यक्ष द्वारा दी गई सूचना या स्पष्टीकरण को स्वीकार कर आपत्तियों को वापस ले सकता है , या

(ख). निर्देश दे सकता है कि इस मामले की आगामी संपरीक्षा के समय अथवा किसी पूर्ववर्ती तारीख को फिर से जांच की जाये, या

(ग.) यह तय कर सकता है कि प्रतिवेदन में बताई गई त्रुटियां या अनियमितताएं या उनमें से कोई, दूर नहीं की गई है या सुधारी नही गई हैं

(3.) निदेशक उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यक्ष की सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर अथवा, यदि अध्यक्ष ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो उक्त उप धारा में उल्लिखित तीन मास की अवधि समाप्त हो जाने पर, अपने विनिश्चय का प्रतिवेदन नियंत्रक प्राधिकरण को भेजेगा और ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। यदि निदेशक का यह मत है कि कोई त्रुटियॉ अनियमितताएं दूर नहीं की गई हैं या सुधारी नहीं गई हैं तो अपने प्रतिवेदन में वह इस बात का कथन करेगा कि आया उसकी राय में त्रुटियों या अनियमितताओं को विनियमित किया जा सकता हैं और यदि ऐसा है तो किस रीति से और यदि वे नियमित नहीं की जा सकती है तो क्या वे उपभर्षित की जा सकती है और यदि ऐसा है तो किस प्राधिकारी द्वारा। वह यह भी कथन करेगा कि आया वह राशि जिससे त्रुटियां या अनियमितताएं संबंधित है , उसकी राय में , अधिभारणीय या प्रभारणीय है और यदि ऐसा है तो किस पर :

परन्तु ऐसे स्थानीय प्राधिकरणो के , जो इस बारे में विशेषतः अधिसूचित किये जाए , लेखाओं पर प्रतिवेदनों के मामले में, इस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिवेदन निदेशक द्वारा ऐसे अधिकारी को , जो विभागाध्यक्ष हो, प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे । ऐसा अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा जो किन्हीं भी ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के संबंध में जो उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत आती है और जो प्रतिवेदन में ध्यान में लाई गई हैं , आवश्यक हो। यदि उसकी यह राय है कि वे राशियॉ जिनसे ऐसी कोई त्रुटियां या अनियमितताएं संबंधित है, अधिभारणीय या प्रभारणीय है तो वह प्रतिवेदन को इस बारे में अपनी सिफारिशों के साथ नियंत्रक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4.) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण अपने आगामी प्रशासन प्रतिवेदन मे धारा 8 के अधीन प्रतिवेदन के ऐसे भाग को, जो उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत आने वाली त्रुटियों या अनियमितताओं से संबंधित है, उप–धारा (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के , यदि कोई हो, और उस पर निदेशक द्वारा उप–धारा (3) के अधीन दिए गए अंतिम प्रतिवेदन के साथ प्रकाशित करेगा। त्रुटियों और अनियमितताओं का ऐसा प्रतिवेदन स्पष्टीकरण और अंतिम प्रतिवेदन उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के लिए स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में जनता द्वारा निरीक्षण किए जाने हेतु उपलब्ध रहेगा।

(5.) इस धारा की या धारा 9 की कोई भी बात निदेशक को, किसी भी समय, ऐसी कोई सूचना , जो निदेशक को आपराधिक दुर्विनियोग या कपट की उप–धारणा का समर्थन करने

वाली प्रतीत हो या जो उसकी राय में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने योग्य हो या तुरन्त जांच किये जाने योग्य हो , ऐसी कार्यवाही के लिए जिसे नियंत्रक प्राधिकारी आवश्यक समझे , नियंत्रक प्राधिकारी के ध्यान में लाने से नहीं रोकेगी।

11. घोर उपेक्षा या अवचार के कारण हुए अवैध भुगतान या हानि को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिभारित या प्रभारित किया जाना :–

(1.) नियंत्रक प्राधिकारी निदेशक भी अथवा किसी विभागाध्यक्ष की, जैसी भी स्थिति हो , धारा 10. की उप–धारा (3) के परन्तुक के अधीन सिफारिश पर विचार करने और संबंधित व्यक्ति का स्पष्टीकरण लेने , अथवा ऐसी और जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् ऐसी किसी भी मद को , जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो , नामंजूर कर सकता है और उसे अवैध भुगतान करने अथवा उसे प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिभारित कर सकता है और उसके लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति पर उस व्यक्ति द्वारा की गई घोर उपेक्षा या अवचार के कारण हुई कमी , दुर्व्यय या हानि की राशि को या प्राप्त ऐसी राशि को , जो उस व्यक्ति द्वारा लेखों में ली जानी चाहिये थी किन्तु नहीं ली गई , प्रभारित कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति से प्राप्त राशि को प्रमाणित करेगा :

परन्तु ऐसी मद के संबंध में, जो लेखाओं में सम्मिलित है, या जो सम्मिलित की जानी चाहिये थी , किन्तु 1 अप्रेल , 1955 से पूर्व के किन्हीं लेखाओं में सम्मिलित किये जाने से रह गई थी , इस अधिनियम के अधीन अधिभारित या प्रभारित करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2). नियंत्रक प्राधिकारी प्रत्येक अधिभार या प्रभार के संबंध में अपने विनिश्चय के कारणों को लेखबद्ध करेगा और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस व्यक्ति को भेजेगा जिसके विरूद्ध विनिश्चय किया गया है।

(3.) यदि कोई व्यक्ति , जिसे उप–धारा (2) के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय की प्रति भेजी जाती है , उसका परिदान लेने से इन्कार करता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उस प्रति को उसी दिन प्राप्त कर लिया था जिस दिन उसने उसे लेने से इन्कार किया।

12.<u>अधिभारो और प्रभारो की वसूली कैसे की जायेगी</u> :–

(1.) प्रत्येक राशि , जो नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा धारा 11 की उप–धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से प्राप्य प्रमाणित की जाती है , उस व्यक्ति द्वारा , नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चिय को प्राप्ति से एक मास के भीतर, उस कोषागार या बैंक में संदत्त की जायेगी जिसमें संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की निधियां रखी जाती है, सिवाय उस दशा के जबकि ऐसा व्यक्ति उस समय के धारा 13 के उपबंधों के अनुसार न्यायालय को या राज्य सरकार को आवेदन कर दे।

(2.)यदि उक्त राशि सम्यक रूप से संदत्त नहीं की जाती है , अथवा यदि धारा 13 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध न्यायालय को या राज्य सरकार को आवेदन कर दिया गया है तो ऐसी राशि जो न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा प्राप्य घोषित की जाये इस प्रकार वसूलीय होगी मानो वह भू–राजस्व की बकाया हो।

13.<u>अधिभार या प्रभार के आदेश के विरूद्ध आवेदन</u> :–

(1.) कोई भी व्यक्ति जो धारा 11 की उप–धारा (1) के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिये गये अधिभार या प्रभार के आदेश व्यथित है, नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय की प्राप्ति से एक मास के भीतर , या तो–

(क.) उस आदेश को अपास्त कराने के लिए मूल अधिकारिता के मुख्य सिविल न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय , उस व्यक्ति की और नियंत्रक प्राधिकारी की या उसके प्रतिनिधि की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसा साक्ष्य लेकर जिसे वह आवश्यक समझे , ऐसे अधिभार या प्रभार को पुष्ट , उपान्तरित , या रदद् कर सकेगा और खर्चों के संबंध में ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे वह परिस्थितियों में उचित समझे ,या

(ख). ऐसे आवेदन के बजाय राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा, जो व्यथित

व्यक्ति और नियंत्रक प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि की सुनवाई के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसे वह उचित समझे; और इस उप–धारा के अधीन न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगे।

(2.) यदि नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय के व्यथित व्यक्ति प्रथम दृष्टया प्रतीति करा दे और न्यायालय अथवा राज्य सरकार से कार्यवाहियों को रोकने का आदेश प्राप्त कर ले तो जब तक आवेदन का निपटारा न हो तब तक प्रमाण पत्र पर सब कार्यवाहियां रोक दी जायेगी।

14.संपरीक्षकों की अध्यपेक्षाओं से संबंधित व्यय स्थानीय निधियों में से संदेय होगें:–धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन संपरीक्षक की किसी अध्यपेक्षा की पूर्ति में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपगत समस्त व्यय उसकी स्थानीय निधि में से संदेय होगें।

15. राज्य सरकार की शक्तियों और कर्त्तव्यों का अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग :– इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों और अधिरोपित कर्त्तव्यों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

16.नियम :– (1.) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगी।

(2.) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबन्ध हो सकेगा अर्थात :–

(क.) वह रीति और रूप , जिसमें ऐसे किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखें रखे जायेंगे और प्रस्तुत किये जायेंगे ,जिसके लेखे इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्ययीन है ;

(ख.) सपंरीक्षकों की शक्ति और कर्त्तव्य और संपरीक्षा करने के लिए उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा वे समय जब संपरीक्षा की जा सकेगी ;

(ग.) निदेशक की शक्तियां और कर्त्तव्य ;

(घ.) वे कालान्तर जब किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय निधि के लेखे धारा 5 के अधीन संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जायेगें ;

(ड.) अधिकारी जिन्हे धारा 15 के अधीन सशक्त किया जाना है ;

(च.) वह रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त मामले प्रकाशित किये जायेगे , और

(छ.) अन्य समस्त मामले जो नियमों द्वारा विहीत किये जायें या जिनका विहीत किया जाना अपेक्षित हो।

***17.विर्निदिष्ट मामलों में लेखे रखने का कर्त्तव्य :–** इस अधिनियम में या किसी स्थानीय प्राधिकरण का गठन करने वाली किसी अधिनियमिति में या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में किसी बात के होते हुए भी निदेशक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरणों के ऐसे लेखें रखने के संबंध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

***18.लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखना–** निदेशक जिन मामलों को सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं, वार्षिक रूप से उसके द्वारा लेखापरीक्षित खातों की एक समेकित रिपोर्ट सरकार को भेजेगा और सरकार,

उसके बाद प्राप्त होने पर उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

प्रभु दयाल लोईवाल
सरकार के सचिव।

---

*अधिनियम 30, 1961 अधिसूचना दिनॉक 21.10.61 द्वारा प्रतिस्थापित

**अधिनियम 27, 1957 अधिसूचना दिनॉक 13.8.57 द्वारा विलोपित

***अधिनियम राजस्थान राजपत्र, भाग IV–ए, दिनांक 15–04–2011 में प्रकाशित राजस्थान संख्या 15, 2011 द्वारा जोड़ा गया।